

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 51/2021

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमाराम पुत्र जोगाराम जाति प्रजापत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. जोगाराम पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयक सिणधरी
---	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1 श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं.1 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक- 05.09.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि मौजा- पायला कलां, निरीया नाडा, डाबली नाडी के खसरा संख्या क्रमशः 593,810/208, 233, 288 रकबा क्रमशः 13.6236, 13.8764, 0.0162, 2.3380 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 14.07.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

3
सहायक कलक्टर
SBO सिणधरी



लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- पायला कलां, निरीया नाडा, डाबली नाडी के खसरा संख्या क्रमशः 593,810/208, 233, 288 रकबा क्रमशः 13.6236, 13.8764, 0.0162, 2.3380 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	ओमाराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	पायला कलां	593	1.7029	बा.अ.	0.32	हरा
		निरीया नाडा	810/208	1.7346	बा.दो.	0.24	
		डाबली नाडी	233	0.0020	बा.दो.		
			288	0.2922	बा.दो.	0.04	
2	जोगाराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	पायला कलां	593	11.9207	बा.अ.	2.27	गुलाबी
		निरीया नाडा	810/208	12.1418	बा.दो.	1.70	
		डाबली नाडी	233	0.0142	बा.दो.		
			288	2.0458	बा.दो.	0.29	
3	राज. सरकार (रास्ता)	निरीया नाडा	809/208	0.1031			केसरिया

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.
उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
ओमाराम पुत्र जोगाराम जाति प्रजापत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. जोगाराम पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयक सिणधरी

दावा बाबत:— 88,53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :- 51/2021
निर्णय दिनांक :- 05.09.2024

वादी की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की अनुपस्थिति एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.09.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज तारीख 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2 अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3 प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		4 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5 आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6 कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील	जोड़		जोड़